न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 82/2017

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट्स
1–श्रीमती शांतिदेवी पुत्री स्व0 कुष्टा पत्नी रामसिह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बस्ती (बांदरा) बाडमेर हाल असाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 2–श्रीमती हऊवा पुत्री स्व0 कुष्टा पत्नी भंवरसिह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बस्ती (बांदरा) बाडमेर हाल कालूडी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 3–श्रीमती रेखा पुत्री स्व0 कुष्टा पत्नी विरधा उर्फ विरधसिह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बस्ती (बांदरा) बाडमेर हाल हडेतर तहसील सांचौर जिला जालोर		1–ग्राम पंचायत बांदरा जरिये सरपंच 2–बन्नाराम पुत्र नाथाराम के का0मुकाम– 2.1– गणपत पुत्र स्व0 भंवरसिह 2.2– दलीप पुत्र स्व0 भंवरसिह 2.3– श्रीसंत पुत्र स्व0 भंवरसिह 2.4– गोर्वधनसिह पुत्र स्व0 बन्नाराम 2.5– रामसिह पुत्र स्व0 बन्नाराम 2.6– गोतम गुसाई पुत्र मुलाराम 2.7– मोहनलाल पुत्र मुलाराम 2.8– मनोहरलाल पुत्र रेवंताराम 2.9– रमेश कुमार पुत्र रेंवताराम 2.10–पप्पूदेवी पत्नी रेवतराम सभी जातियान जाट निवासी छितर का पार, तहसील व जिला बाडमेर 3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2016 मे राजस्व अपील संख्या 15/2012 अनवान शांतिदेवी वगैरा बनाम ग्राम पंचायत बांदरा वगैरा मे दिनांक 26–5–2016 को पारित किया गया ।

उपस्थिति बहसः–

1– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/10 की ओर से श्री एम.एल.खत्री ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–5–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बांदरा तहसील बाडमेर के खसरा नंबरान 384 रकबा 55.01 बीघा, खसरा नंबर 389 रकबा 71.13 बीघा तथा खसरा नंबर 390 रकबा 116.06 बीघा कुल रकबा 243 बीघा भूमि का खातेदार कुष्टा वल्द अजीता कौम पुरोहित सा0 देह था । उक्त खातेदार के फोत होने पर उक्त खातेदारी की भूमि का फोतेदगी म्युटेशन संख्या 134 मृतक की पत्नी वीरो तथा उसकी तीन पुत्रियां वर्तमान अपीलांट के पक्ष मे स्वीकृत किया गया । उपरोक्त भूमि मे से खसरा नंबर 390 की कुल 116.06 बीघा भूमि मे से 84 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बेचान वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 वनाराम पुत्र नथाराम एवं पन्नाराम पुत्र नथाराम के पक्ष मे करने पर उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन संख्या 16 बिना बेचान दस्तावेज की जांच किये तथा अपीलांटगण को सूचित किये दिनांक 7–4–1963 को सरपंच ग्राम पंचायत बांदरा द्वारा स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन संख्या 16 के विरूद्ध अपीलाटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

प्रस्तुत प्रथम अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–2016 के द्वारा खारीज कर दिया जाने पर उक्त द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 390 की 116 बीघा भूमि मृतक खातेदार कुष्टा के नाम चल रही थी उक्त खातेदार कुष्टा के देहांत के बाद तत्कालीन पटवारी हल्का ने विरासत का नामांतरकरण दर्ज करने की कोई कार्यवाही नही की तथा रेस्पो0 संख्या 2 बन्नाराम व उसके भाई पन्नाराम से मिलीभगत कर विधिविरूद्ध म्युटेशन संख्या 16 स्वीकृत कर दिया जबकि मृतक के विधिक वारिसान जीवित थे परंतु उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त म्युटेशन संख्या 16 विधिविरूद्ध स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 केम्प बांदरा मे ले जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–2016 के द्वारा अस्वीकार करने बाबत पारित आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि लोक अदालत मे पत्रावली को रखे जाने का अपीलांटगण का कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही था तथा न ही प्रकरण पक्षकारान के बीच राजीनामे या सहमति का था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित कोर्ट मे चल रहे प्रकरण को लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2016 के केम्प मे रखते हुए निर्णित करने मे विधिक भूल की है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व खातेदार कुष्टा फोत हो गया था तथा कुष्टा द्वारा कोई बेचान नही किया गया था । पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत द्वारा खातेदार कुष्टा के फोत होने पर उसके कायम मुकाम के नाम विरासत का नामांतरकरण दर्ज एवं स्वीकृत करने बाबत कोई कार्यवाही नही की गई ऐसे मे विरासत का नामांतरकरण दर्ज किये बिना तथाकथित बेचान का म्युटेशन संख्या 16 स्वीकृत ही नही किया जा सकता था इस कारण म्युटेशन की कार्यवाही विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि पंजीबद्ध बेचान पत्र से अंतरित होना तथा उसको निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होने के कारण का उल्लेख करते हुए अपीलांटगण की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि तथाकथित बेचाननामा अपीलांटगण द्वारा निष्पादित किया हुआ नही है ऐसे मे अपीलांटगण के हिस्से तक की भूमि का म्युटेशन स्वीकृत किया ही नही जा सकता था परंतु अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार

की जांच किये बिना स्वीकृत नामांतरकरण को चेलेंज करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया विवेचन विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 16 को निरस्त करने तथा विवादित भूमि का म्युटेशन मृतक कुष्टा के सभी वारिसान के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/10 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार कुष्टा ने ही खसरा नंबर 390 की 84 बीघा भूमि का बेचान रेस्पो0 संख्या 2 के पूर्वज वनाराम पुत्र नथाराम एवं पन्नाराम पुत्र नथाराम कौम जाट को बहिस्सा बराबर करने पर उक्त बेचाननामे के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/10 के पूर्वज वनाराम पुत्र नाथाराम एवं उसके भाई पन्नाराम पुत्र नाथाराम कौम जाट के पक्ष मे सरपंच ग्राम पचांयत बांदरा द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 16 स्वीकृत किया था जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–2016 के द्वारा अपीलांटगण की प्रथम अपील को खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन जो कि वर्ष 1963 मे बेचान के आधार पर स्वीकृत हुआ था तब से अपीलाधीन भूमि रेस्पो0 के खाते मे एवं कब्जे मे चली आ रही है ऐसे मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार 12 वर्ष से अधिक समय तक किसी भूमि पर कब्जा काश्त होने पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है ऐसे मे अपीलांटगण यदि अपीलाधीन भूमि मे अपना हक अधिकार होना मानते है तो उन्हे विधिवत राजस्व वाद पेश कर अपने अधिकारो की घोषणा करवा सकते है म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारो की घोषणा संभव नही है इसलिए अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 16 एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–2016 आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 16के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त म्युटेशन खसरा नंबर 390 की कुल 116 बीघा 06 बिस्वा भूमि के खातेदार कुष्टा पुत्र अजीता कौम पुरोहित द्वारा 84 बीघा भूमि का बेचान रेस्पो0 संख्या 2 के पूर्वज बनाराम पुत्र नाथाराम एवं उसके भाई पन्नाराम पुत्र

नाथाराम कौम जाट के पक्ष मे करने पर बेचान दस्तावेज के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत बांदरा द्वारा म्युटेशन संख्या 16 दिनांक 7–4–63 को स्वीकृत किया गया था, जिसमे प्रथमदृष्ट्यिां कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

उक्त म्युटेशन संख्या 16 के विरूद्ध अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की कि अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व खातेदार कुष्टा फोत हो गया था तथा कुष्टा द्वारा कोई बेचान नही किया गया था । पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत द्वारा खातेदार कुष्टा के फोत होने पर उसके कायम मुकाम के नाम विरासत का नामांतरकरण दर्ज एवं स्वीकृत करने बाबत कोई कार्यवाही नही की गई ऐसे मे विरासत का नामांतरकरण दर्ज किये बिना तथाकथित बेचान का म्युटेशन संख्या 16 स्वीकृत ही नही किया जा सकता था इस कारण म्युटेशन की कार्यवाही विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य थी ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बेवान के दस्तावेज की वैद्यता एवं उसकी जांच करने तथा किसी प्रकार का अभिमत देने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है इसलिए रेस्पो0 संख्या 2 के पूर्वज एवं उसके भाई पन्नारम के पक्ष मे किये गये बेचान को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवा दिया जाता है तब तक उक्त बेचान के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है तथा यही अभिमत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे देते हुए अपीलांटगण की अपील को खारीज किया है, जो विधिसम्मत होने से उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है । अपीलांटगण यदि अपीलाधीन भूमि मे अपना हक अधिकार होना मानती है तो नियमित वाद सक्षम न्यायालय मे पेश कर अपने अधिकारो की घोषणा करवानी होगी, म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–2016 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 16 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28–5–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर